<u>न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, ऋषिकेश, देहरादून।</u>
प्रकीर्ण वाद सं0–15 वर्ष 2026
सी0जी0नं0–58 वर्ष 2026
(सम्बन्धित मोटरयान दुर्घटना दावा याचिका सं0–56/2023, सी0जी0नं0–12/2023)
मा0 प्रणय रावत बनाम श्री विकास खोसला आदि।

<u>दिनांक–02–06–2026</u>
याची पक्ष के विद्वान अधिवक्ता–श्री रविन्द्र सिंह बिष्ट

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री रविन्द्र सिंह बिष्ट न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को जर वापसी प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि **<u>एम0ए0सी0टी0 वाद सं0–56/2023, सी0जी0नं0–12/2023 मा0 प्रणय रावत–बनाम–श्री विकास खोसला आदि</u>** में दिनांक 14.03.2026 के अनुसार, पक्षकारों के बीच **मु0–4,00,000/–रूपये** में समझौतानामा हुआ था और उक्त समझौतेनामें के अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से उक्त समस्त धनराशि जमा की गयी है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त मामले में समस्त धनराशि को अपने पक्ष में निर्मुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

2. प्रार्थना पत्र के साथ एम0ए0सी0टी0 वाद सं0–56/2023 में पारित आदेश दिनांकित 14.03.2026 की सत्यप्रति, आधार कार्ड की प्रति आदि दाखिल की गयी हैं। याची की शिनाख्त उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी है।

3. कार्यालय द्वारा इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गयी है कि **<u>एम0ए0सी0टी0 वाद सं0–56/2023, सी0जी0नं0–12/2023 मा0 प्रणय रावत–बनाम–श्री विकास खोसला आदि</u>** सही है तथा उक्त वाद दिनांक 14.03.2026 को समझौते के आधार पर निर्णीत हो चुका है। विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से चैक सं0–057678 के माध्यम से **मु0 4,00,000/–रूपये** बैंक ऑफ इण्डिया की मुख्य शाखा ऋषिकेश के **खाता सं0–768110210000002** में जमा की गयी है।

4. कार्यालय की आख्यानुसार एवं अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांकित 14.03.2026 के अनुसार, मा0 प्रणय रावत को समस्त धनराशि अर्थात 4,00,000/–रूपये के किसी राष्टीयकृत बैंक में सावधि जमा प्रपत्र उसके बालिग होने तक बनाये जाने का आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा अवार्ड की समस्त धनराशि बैंक ऑफ इण्डिया, मुख्य शाखा ऋषिकेश के उपरोक्त बैंक खाता में जमा की गयी है। जबकि, प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि मामले से संबंधित कोई अपील किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं है। तद्नुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रबन्धक बैंक ऑफ इण्डिया, मुख्य शाखा ऋषिकेश, जिला देहरादून को आदेशित किया जाता है कि वे **<u>एम0ए0सी0टी0 वाद सं0–56/2023, सी0जी0नं0–12/2023 मा0 प्रणय रावत–बनाम–श्री विकास खोसला आदि</u>** में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा बैंक ऑफ इण्डिया, मुख्य शाखा ऋषिकेश, जिला देहरादून के **खाता सं0–768110210000002 में जमा समस्त धनराशि अर्थात मु0 4,00,000/–रूपये के सावधि जमा प्रपत्र, याची मा0 प्रणय रावत के बालिग** होने तक बनाकर न्यायालय में प्रेषित करें। इस आदेश की एक प्रति प्रबन्धक बैंक ऑफ इण्डिया, मुख्य शाखा ऋषिकेश, देहरादून के अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये। तदनुसार यह प्रकीर्ण वाद/प्रार्थना पत्र संख्या निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

(अजय डुंगराकोटी)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश/एम0ए0सी0टी0
ऋषिकेश, देहरादून।